



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ. राकेश सिंह फकलियाल /Dr.Rakesh Singh Phakaliyal

27/2023-24/2158/401

सहायक प्रोफेसर एवं लोक सूचना अधिकारी

दिनांक : 10/11/2023

Assistant Professor & Public Information Officer

महोदय/महोदया,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनांक 23.10.2023 का आवेदन (कार्यालय में दिनांक 25.10.2023 को प्राप्त) का संदर्भ ग्रहण करें। संबंधित इकाईयों से प्राप्त सूचना अनुसार वांछित जानकारी निम्नानुसार है :-

| क्र.सं. | मांगी गई सूचना | प्रदान की गई सूचना |
|---------|---|--|
| 1 | <p>I am Bharat Parihar, a regular student of BALLB 2022-27 in the Department of Law. The following information has been given to me through this RTI under Section 3 of the Right to Information Act 2005. I May be given a copy of the answer sheets of all the subjects of my first semester (held in the month of March). My examination admit card is given in the attached document.</p> <p>This information should be given to me only through my email (r.k.saini1606@gmail.com)</p> | <p>कुल 114 पृष्ठ संलग्न है। कृपया अवलोकन करें।</p> |

अगर आप प्रदत्त सूचना के संदर्भ में अपील करना चाहते हैं तो अपीलीय अधिकारी को इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर अपील कर सकते हैं -

प्रथम अपीलीय अधिकारी

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,

पोस्ट - हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001, महाराष्ट्र

फोन नं. 07152-230902, फैक्स - 07152-247602

भवदीय

(राकेश सिंह फकलियाल)

संलग्नक : यथोपरि (कुल 114 पृष्ठ)